न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 06/2020

बउनवान

भागचन्द पुत्र हरिबल्लभ आयु 50 साल जाति खाती निवासी कोयला तहसील व जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार तहसील बारां इन्तकाल नं0 384 दिनांक 19.03.2020/20.03.2020 ग्राम शाहगढ़ तहसील बारां

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 21.02.2022

1– अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 384 दिनांक 19.03.2020/20.03.2020 ग्राम शाहगढ़ संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 02.11.2019 को हो जाने के बाद उपरोक्त इन्तकाल खोला गया जिसमें अपीलांट का नाम भागचन्द के स्थान पर भगवतीप्रसाद कर दिया गया इस कारण अपीलान्ट को फसल नुकसान राशि व प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि भी नही मिल पाई। अपीलान्ट के भाई राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प में अपीलान्ट का घर का नाम भगवती प्रसाद होने से लिख दिया गया है। इस कारण इन्तकाल में उक्त गलती हो गई जबकि अपीलान्ट का परिवार राशन कार्ड में, जन आधार कार्ड में, श्रमिक कार्ड में, भागचन्द नाम ही दर्ज है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 384 में गलत दर्ज हुये भगवती प्रसाद नाम को हटाकर भागचन्द नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जिससे प्रार्थी को उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त हो सके। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 384 की इन्द्राज संख्या 2 पर भगवती प्रसाद नाम निरस्त किया जाकर भागचन्द नाम दर्ज किये जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट का दिया जावे।

2– इस पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज [illegible] किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से [illegible] अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख [illegible] विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 02.11.2019 को हो जाने के बाद उपरोक्त इन्तकाल खोला गया जिसमें अपीलांट का नाम भागचन्द के स्थान पर

वतीप्रसाद कर दिया गया इस कारण अपीलान्ट को फसल नुकसान राशि व प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि भी नही मिल पाई। अपीलान्ट के भाई राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प में अपीलान्ट का घर का नाम भगवती प्रसाद होने से लिख दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 384 की इन्द्राज संख्या 2 पर भगवती प्रसाद नाम निरस्त किया जाकर भागचन्द नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

4— पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि मृतक हरिबल्लभ पुत्र मन्ना जाति खाती निवासी कोयला की मृत्यु होने पर बाद जांच खोला जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटड़ीसूण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमे कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भागचन्द पुत्र बल्लभ के हैं, जबकि अपील मृतक हरिबल्लभ पुत्र मन्ना की मृत्यु होने पर खोला जाकर तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 384 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटड़ीसूण्डा द्वारा इंतकाल नं0 384 मृतक हरिबल्लभ पुत्र मन्ना जाति खाती निवासी कोयला की मृत्यु होने पर बाद जांच खोला जाकर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड एवं आधार कार्ड में भी भागचन्द पुत्र बल्लभ अंकित है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये इन्तकाल को अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में चुनौती नहीं देकर अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested